भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3096
28 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों का समावेश

3096. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थियों को शामिल करने की गति बहुत धीमी है; और

(ख) यह योजना कब प्रारंभ की गई और योजना में अब तक कितने लाभार्थी शामिल हुए हैं और यह योजना इस संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य तक कब तक पहुंच सकेगी?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो 60 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है कि वे बचे हुए (अप्रमाणित) एसईसीसी परिवारों हेतु टैगिंग के लिए गैर-एसईसीसी लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग कर सकते है। तदनुसार, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अज्ञात एसईसीसी परिवारों के लिए गरीब और कमजोर परिवारों का डेटाबेस साझा किया है और अपनी लागत पर लगभग 15.5 करोड़ परिवारों तक लाभार्थी आधार का विस्तार किया है। इस डेटाबेस को कार्ड निर्माण के लिए एनएचए की आईटी प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।

20 मार्च 2023 तक, इस योजना के तहत कुल 23.3 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और 11,500 निजी अस्पतालों सहित 26,434 पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से 54,224 करोड़ रुपये के 4.49 करोड़ से अधिक अस्पताल दाखिलों को अधिकृत किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाभार्थी की मांग के आधार पर संचालित होती है। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी पात्र लाभार्थियों को योजना के शुभारंभ के पहले दिन से ही इस योजना के अंतर्गत सेवाओं के लिए हकदार बनाया गया है।

******